

# न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या  
15/110/2021

रजि० नम्बर  
2021/275

प्रवेश तिथि  
10.09.2021

निर्णय दिनांक  
10.05.2022

—उनवान—

1. सुभाष,
2. सुन्दर पुत्रान् लल्लूराम पुत्र रामकुंवार पुत्र भवानीसहाय जाति अहीर निवासी ग्राम थड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत सीथल हाल थड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज० जरिये सरपंच।
2. उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर राज०।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थित:—

01.श्री परमानन्द महारा

—वकील प्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान सुभाष वगै० बनाम ग्राम पंचायत को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुन्तकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद सुभाष वगै० बनाम ग्राम पंचायत विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी तिजारा की शोहरत काफी दिनों से ठीक नहीं है। पीठासीन अधिकारी विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ने ऐलानिया तौर पर कहा है कि आगामी पेशी पर बहस सुनकर आवश्यक रूप से निर्णय कर दुंगा। उक्त प्रकरण से तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा गत तारीख पेशी पर खुले न्यायालय में अपने न्याय निर्णय का इजहार कर दिया था। अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाकर निष्पक्ष न्याय करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र मुन्तकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि उक्त उनवानी अपील संख्या 45/2005 न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं है। मिन पीठासीन अधिकारी ने किसी प्रकार का निर्णय का इजहार नहीं किया है। फिर भी उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन करने से स्पष्ट हुआ है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में वर्ष 2005 से विचाराधीन है जो आदिनांक मूल इंतकाल की तलबी में लगा हुआ है। पत्रावली दिनांक 05.05.2016 के बाद दिनांक 25.08.2021 को लिखी गयी है। जिसमें आगामी दिनांक 01.09.2021 लगाई गयी है। किन्तु पत्रावली दिनांक 01.09.2021 में ना लिखकर दिनांक 30.12.2021 में कैम्प कोर्ट के दौरान लगायी गयी है। पत्रावली में नियमित रूप से तारीख पेशी नहीं लगाई जा रही है जिससे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अनियमितताएं प्रतीत होती हैं। जिस कारण पत्रावली मुन्तकिल योग्य है।

जिला कलक्टर अलवर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन सुभाष वगै० बनाम ग्राम पंचायत अपील संख्या 45/2005 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी तिजारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी तिजारा एवं उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शिव प्रभाद नकाते)  
जिला कलेक्टर, अलवर  
जिला न्यायालय, अलवर  
(राजस्थान)